सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

भारत अवसंरचना परियोजना विकास

निधि की योजना एवं दिशा-निर्देश

!ndia
INFRASTRUCTURE
Building for Growth

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

भारत अवसंरचना परियोजना विकास

निधि की योजना एवं दिशा-निर्देश

2008

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के लिए योजना और दिशा-निर्देश वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा का0ज्ञा0सं0 7/2/2007-पीपीपी दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

© आर्थिक कार्य विभाग
सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक
पीपीपी प्रकोष्ठ
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
भारत
www.pppinindia.com

रूपांकित एवं मुद्रित
मैक्रो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
www.macrographics.com

2008

विषय-सूची

प्रस्तावना		**iii**
संकेताक्षर एवं परिभाषाएं		**vi**
1.	**भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि और उसकी भूमिका**	**1**
	1. आईआईपीडीएफ की पृष्ठभूमि	1
	2. आईआईपीडीएफ का प्रयोजन	1
	3. आईआईपीडीएफ के निधियन स्रोत	2
	4. आईआईपीडीएफ की संगठनात्मक संरचना	3
	5. आईआईपीडीएफ द्वारा संवितरण	4
2.	**प्रचालनात्मक प्रबंधन**	**5**
	1. आईआईपीडीएफ से निधियन	5
	2. मूल्यांकन प्रक्रिया और निर्धारित समयावधि	6
	3. निगरानी	8
	4. प्रतिलाभों सहित परियोजना विकास निधियन की वसूली	8
	5. जोखिम प्रबंधन	8
अनुबंध		**9**
अनुबंध-I	विचारार्थ ज्ञापन	9
अनुबंध-II	एमएफसी आवेदन-पत्र	12
अनुबंध-III	एमएफसी सहित प्रारम्भिक रिपोर्ट की विषय-सूची	14

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस समय 8 प्रतिशत से अधिक दर्ज किए जाने पर यह अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के लिए 20,01,776 करोड़ रुपए (वर्ष 2006-07 की कीमतों पर) अथवा 488 बिलियन अमरीकी डालर की जरूरत होगी। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी निजी भागीदारी ने इन लक्ष्यों की पूर्ति का एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत किया है जो न केवल अवसंरचना के सृजन के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करके बल्कि और अधिक कार्यक्षमता के जरिए सेवाओं की सुपुर्दगी के मानकों को बढ़ा कर भी किया गया है।

भारत सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं जिनका लक्ष्य सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। जबकि निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए वाणिज्यिक रूप से कार्यक्षम परियोजनाएं प्रस्तावित की जानी चाहिए और 'प्रयोक्ता भुगतान करे' के सिद्धान्त के पालन को बढ़ावा देने के लिए इन सेवाओं की व्यवस्था टैरिफ के आधार पर की जानी चाहिए, सरकार को भी समावेशी विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करनी चाहिए, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि टैरिफ का निर्धारण आम आदमी की भुगतान क्षमता के आधार पर किया जाए। इन परियोजनाओं के संबंध में राज्य को सौंपी जा सकने वाली पर्याप्त आकस्मिक देयता को देखते हुए उचित कर्तव्य निष्ठा भी बहुत जरूरी है।

सरकारी निजी भागीदारी ने एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प प्रस्तुत किया है जो अवसंरचना के सृजन के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करेगा

सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहन देते समय छह मुख्य बाधाएं दिखाई देती हैं:

i. नीति एवं विनियामक अंतराल विशेष रूप से क्षेत्रीय नीतियों और विनियमों के संबंध में;

ii. दीर्घावधि वित्त (10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए) की अपर्याप्त उपलब्धता - इक्विटी एवं ऋण दोनों;

iii. पीपीपी प्रक्रियाओं की व्यवस्था करने में सरकारी संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों की अपर्याप्त क्षमता;

iv. निजी क्षेत्र की विकासकर्ता/निवेशक और तकनीकी जनशक्ति दोनों रूपों में अपर्याप्त क्षमता;

v. उन बैंकग्राह्य अवसंरचना परियोजनाओं का जिनकी निजी क्षेत्र में बोली लगाई जा सकती है, अपर्याप्त कार्यावधि और

vi. लोगों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को स्वीकार किए जाने की भावना को उचित समर्थन की कमी।

इन रूकावटों का निराकरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं जिससे नीति और विनियामक परिवेश से संबंधित मुद्दों का निराकरण करते हुए पीपीपी के लिए एक सही ढांचा सृजित किया जा सके। उत्तरोत्तर और अधिक क्षेत्रों में निजी तथा विदेशी निवेश शुरू हो गया है, प्रयोक्ता प्रभार वसूल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, विनियामक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है, अवसंरचना परियोजनाओं को राजकोषीय प्रोत्साहन राशि दी गई है, मॉडल अनुदान करार सहित मानकीकृत संविदात्मक दस्तावेज अधिसूचित किए जा रहे हैं, पीपीपीएसी की स्थापना के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में पीपीपी की अनुमोदन पद्धति को सरल कर दिया गया है और पीपीपी परियोजनाओं के लिए एक कल्पित बाजार के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णतया पीपीपी से जुड़ी एक वैबसाइट शुरू की गई है।

इन परियोजनाओं की वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि भारत अवसंरचना वित्त कंपनी की स्थापना करना और पीपीपी परियोजनाओं के अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की एक योजना शुरू की गई है। अवसरंचना निधियों की स्थापना करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे कि एशियाई विकास बैंक को पीपीपी परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए रुपया बाण्ड जुटाने और मुद्रा की अदला-बदली करने की अनुमति दी गई है।

इन परियोजनाओं की वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि भारत अवसंरचना वित्त कंपनी की स्थापना करना और पीपीपी परियोजनाओं के अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की एक योजना शुरू की गई है

इस क्षेत्र की क्षमता निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने जैसे कि संचालन सलाहकारों के एक पैनल के जरिए भाड़े पर परामर्शदाताओं की व्यवस्था करने के कार्य में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालय की सहायता करना, प्रयोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए पीपीपी संबंधी एक नियम-पुस्तिका तैयार करने और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को परियोजना विकास की प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए सस्थातर्गत पीपीपी विशेषज्ञों के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश के अवसर अपरिमित है। जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पीपीपी की पहुंच बढ़ती जा रही है इन परियोजनाओं के 20 से 30 वर्ष के उनके पूरे जीवन काल के कौशल उनकी प्रबंध व्यवस्था करने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता भी बढ़ानी होगी। भारत सरकार अब अवसंरचना के अधिकांश क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देती है। महत्वपूर्ण विदेशी निवेशकों के लिए भारत में परियोजना विकास और प्रबंधन गतिविधियों में अधिक रूचि दिखाने का सही समय है।

अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन की एक पसंदीदा पद्धति के तौर पर पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई समग्र कार्यवाही के परिणाम संतोषजनक नहीं पाए गए हैं बावजूद इस बात के कि इससे राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के विभागों को स्पष्ट लाभ हुए हैं।

निजी निवेशकों के लिए प्रस्तावित विश्वसनीय परियोजनाओं की कमी पीपीपी को बढ़ावा देने में एक सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए ऐसी विश्वसनीय, बैंकग्राह्य परियोजनाओं की श्रृंखला तैयार करने के लिए जिन्हें प्रतिस्पर्द्धी बोली की प्रक्रिया के जरिए निजी क्षेत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है, एक अधिक जोरदार नीति को अपनाने की जरूरत है।

इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए परामर्शदाताओं का एक पैनल तैयार किया गया है जो केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह पैनल प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए और तकनीकी रूप से चयन करने के जरिए तैयार किया गया है। प्रायोजन प्राधिकारी लघु और मध्यम आकार की परियोजनाओं के लिए लम्बी और अधिक जटिल तकनीकी बोली की प्रक्रिया से गुजरे बिना एक सीमित वित्तीय बोली के जरिए इस पैनल से किसी परामर्शदाता का चयन कर सकेगा।

हालांकि उच्च कोटि की परामर्शी सेवाएं वहनीय, पैसे का सही मूल्य प्रदान करने वाली (वैल्यू फार मनी) सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं की अधिप्राप्ति का आधार हैं लेकिन पीपीपी की अधिप्राप्ति की लागतें विशेष रूप से संचालन सलाहकार की लागतें बहुत अधिक हैं। राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को उच्च कोटि के परियोजना विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक अंशदान के साथ **'भारत अवसरंचना परियोजना विकास निधि' (आईआईपीडीएफ)** नामक एक संचित निधि की स्थापना की जा रही है। यद्यपि इसे एक परिक्रामी निधि के रूप में लिया गया है जिसकी आपूर्ति सफल बोली वाली परियोजनाओं से अर्जित सफलता शुल्क के जरिए 'निवेश' की प्रतिपूर्ति द्वारा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर, आने वाले वर्षों में इसकी सम्पूर्ति बजटीय सहायता के जरिए की जा सकती है। सामान्यतया आईआईपीडीएफ परियोजना के विकास संबंधी खर्चों की 75 प्रतिशत तक की राशि की मदद करेगी। आईआईपीडीएफ से सहायता सामान्यतया ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी। बोली की प्रक्रिया की सफल समाप्ति पर परियोजना विकास खर्च सफल बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

आईआईपीडीएफ का मुख्य उद्देश्य पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्चों जिनमें परामर्शदाता और संचालन सलाहकार नियुक्त करने की लागतें भी शामिल होंगी, का वित्तपोषण करना होगा जिससे सफल पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी

आईआईपीडीएफ का मुख्य उद्देश्य पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्चों जिनमें परामर्शदाता और संचालन सलाहकार नियुक्त करने की लागतें भी शामिल होंगी, का वित्तपोषण करना होगा जिससे सफल पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी और सरकार द्वारा अच्छी किस्म की संभाव्यता रिपोर्टों के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने में मदद मिलेगी। आईआईपीडीएफ उन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो पीपीपी परियोजना के चयन और तैयारी के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित सर्वोत्तम प्रणालियों का पूरी तरह समर्थन करती हों।

ये दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- ★ आईआईपीडीएफ तथा भारतीय संदर्भ में सरकारी क्षेत्र द्वारा अवसंरचना तथा संबंधित सेवाओं की व्यवस्था के लिए धारणीय पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को व्यक्त करना।
- ★ आईआईपीडीएफ के प्रचालनात्मक और वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा करना।

संकेताक्षर और परिभाषाएं

निम्नलिखित संकेताक्षर और परिभाषाएं इस शासी दस्तावेज पर लागू होती हैं:

आ0का0वि0

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

अधिकार प्राप्त संस्था (ईआई)

आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक अगस्त 18, 2005 की अधिसूचना सं0 2/10/2004-आईएनएफ के तहत यथा अधिसूचित अधिकार प्राप्त संस्था (ईआई)।

पात्र क्षेत्र

वे क्षेत्र जो अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए पात्र हैं।

जीओआई

भारत सरकार

आईआईपीडीएफ

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि

मेमोरेंडम फोर कन्सीडरेशन (एमएफसी) (विचारार्थ ज्ञापन)

ऐसा प्रारूप जिसमें आईआईपीडीएफ के तहत अनुदान के लिए आवेदन करते समय प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

वाणिज्यिक शर्तों पर विनिर्दिष्ट समयावधि (अनुदान अवधि) के लिए सरकारी प्रयोजन हेतु अवसरंचना का सृजन और/अथवा प्रबंधन करने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी (प्रायोजक प्राधिकरण) और निजी क्षेत्र की कंपनी (एक विधिक कंपनी जिसमें 51 प्रतिशत अथवा उससे

अधिक इक्विटी निजी भागीदार/भागीदारों के पास हो) के बीच भागीदारी और जिसमें पारदर्शी एवं खुली अधिप्राप्ति प्रणाली के माध्यम से निजी भागीदारी प्राप्त की गई हो।

परियोजना

इस योजना के प्रयोजन के लिए ईआई द्वारा चुने गए किसी भी अवसंरचना क्षेत्र में से एक परियोजना।

परियोजना विकास व्यय

अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार प्रत्येक परियोजना के विकास के लिए प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किया गया खर्च।

प्रायोजक प्राधिकरण

केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें, नगर पालिका या स्थानीय निकाय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकरण (जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण)।

तकनीकी समापन

बोली की प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकासकर्ता के चयन के पश्चात् निजी क्षेत्र के विकासकर्ता और प्रायोजक प्राधिकरण अथवा इसकी एजेंसियों के बीच अनुदान करार के निष्पादन की अवस्था।

संचालन सलाहकार

प्रायोजक प्राधिकरणों को परियोजना का डिजाइन तैयार करने और/या उन्हें परियोजना का डिजाइन तैयार करने में तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सलाह प्रदान करने और पीपीपी परियोजना के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए सलाह प्रदान करने हेतु उनके द्वारा अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से भाड़े पर लिए गए सलाहकार।

वीजीएफ

अवसरंचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की योजना के तहत अर्थक्षमता अन्तर निधीयन।

[1.] वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2008 के का0ज्ञा0सं0 7/2/2007 पीपीपी के तहत।

1. भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) और उसकी भूमिका

1. आईआईपीडीएफ की पृष्ठभूमि

1.1 केन्द्रीय वित्त मंत्री ने परियोजना तैयारी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संसद में अपने बजट भाषण, 2007-08 में 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से एक परक्रामी निधि स्थापित करने की घोषणा की। तदनुसार, सरकारी निजी भागीदारी वाली ऐसी विश्वसनीय और बैंक ग्राह्य परियोजनाओं को जो निजी क्षेत्र को प्रस्तावित की जा सकती हैं, सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक आधारभूत निधि से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में 'भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि' नामक एक संचित निधि सृजित की गई है। आईआईपीडीएफ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक बजटीय परिव्यय से सृजित की गई है।

आर्थिक कार्य विभाग ने आईआईपीडीएफ को एक ऐसा तंत्र माना है जिसके माध्यम से प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी की संचालन लागतों के एक भाग का वित्तपोषण करा सकेगा

2. आईआईपीडीएफ का प्रयोजन

1.2 पीपीपी परियोजनाओं की अधिप्राप्ति लागतें विशेषरूप से संचालन सलाहकारों की लागतें बहुत अधिक हैं और इनसे प्रायः प्रायोजक प्राधिकरण के बजट पर बोझ पड़ता है। आर्थिक कार्य विभाग ने आईआईपीडीएफ को एक ऐसा तंत्र माना है जिसके माध्यम से प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी की संचालन लागतों के एक भाग का वित्तपोषण करा सकेगा जिससे उनके बजट पर अधिप्राप्ति से संबंधित लागतों का बोझ कम हो जाएगा। भारत सरकार के संदर्भ में, आईआईपीडीएफ को उन 'बैंकग्राह्य परियोजनाओं' की गुणवत्ता और मात्रा में अवश्य वृद्धि करनी चाहिए जिन पर केन्द्र अथवा राज्यों की परियोजना श्रृंखला के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

1.3 प्रायोजक प्राधिकरण को आईआईपीडीएफ परियोजना विकास की लागतों को पूरा करने के प्रयोजन से पीपीपी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। उन लागतों में प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा संभाव्यता अध्ययनों, पर्यावरण प्रभाव संबंधी अध्ययनों, वित्तीय संरचना, विधिक समीक्षाओं और अनुदान करार सहित परियोजना प्रलेखन के विकास, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (इसमें ट्रैफिक अध्ययन, मांग का मूल्यांकन, भुगतान क्षमता का निर्धारण) शामिल हैं इन परियोजनाओं का तकनीकी समापन हासिल करने के लिए अपेक्षित पृथक-पृथक अथवा टर्नकी आधार पर, परियोजनाओं की ग्रेडिंग आदि के संबंध में किया गया खर्च शामिल है लेकिन इसमें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्टाफ पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

1.4 आईआईपीडीएफ उस पीपीपी परियोजना से संबंधित परामर्शदाताओं और संचालन सलाहकारों की लागत के एक उपयुक्त भाग का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध होगी, जिनमें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा इन परामर्शदाताओं और संचालन सलाहकारों की नियुक्ति आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पैनल में रखे गए संचालन सलाहकारों में से अथवा सेवा संविदा के तहत अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रणाली के जरिए की जाएगी।

1.5 आईआईपीडीएफ से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण के लिए यह जरूरी होगा कि वह एक पीपीपी सैल सृजित करके उसे शक्तियां प्रदान करें जो न केवल पीपीपी परियोजना के विकास संबंधी कार्यकलापों का निर्वहन करेगा बल्कि प्रायोजक प्राधिकरणों के कार्यावधि में पीपीपी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े नीतिगत और विनियामक मुद्दों का निराकरण भी करेगा।

1.6 आईआईपीडीएफ प्रायोजक प्राधिकरणों के लिए अनुदान निधियन का स्रोत नहीं है। सामान्यतया इस निधि से प्रायोजक प्राधिकरण के परियोजना विकास खर्च के 75 प्रतिशत तक की राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। बोली की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन पर परियोजना विकास खर्च सफल बोलीदाता से वसूल किया जाएगा। लेकिन बोली विफल हो जाने पर सहायता वसूल नहीं की जाएगी। प्रयोजक प्राधिकरण यदि किसी कारणवश बोली की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता अथवा बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना के लिए अनुबंध नहीं करता है तो वह प्राप्त की गई सहायता राशि को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा।

परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की अधिप्राप्ति और स्वामित्व के प्रति प्रायोजक प्राधिकरण की वचनबद्धता एक अनिवार्य शर्त है

1.7 जैसा कि परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की अधिप्राप्ति और स्वामित्व के प्रति प्रायोजक प्राधिकरण की वचनबद्धता एक अनिवार्य शर्त है इसलिए आईआईपीडीएफ निधियन के तहत सहायता के लिए प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया परियोजना विकास लागत को 25 प्रतिशत के सह-निधियन की जरूरत होगी, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह परियोजना पीपीपी के अधीन है, पूर्व-संभाव्यता अध्ययन की लागत शामिल होगी। आईआईपीडीएफ से सहायता सामान्यतया प्रायोजक प्राधिकरण का हिस्सा जारी करने के बाद जारी की जाएगी। केवल कुछ आपवादिक परिस्थितियों में अधिकार प्राप्त संस्था प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह-निधियन की शर्त में ढील दे सकती है। इसमें निम्नलिखित बाधायें हैंः पहला, प्रायोजक प्राधिकरण को विचार ज्ञापन तैयार करने के लिए संभाव्यता अध्ययन के निधियन की वचनबद्धता करनी होगी। दूसरा, आईआईपीडीएफ संभाव्यता रिपोर्ट के इस निर्णय को कि क्या पीपीपी उचित है अथवा नहीं, प्रभावित नहीं करेगी।

3. आईआईपीडीएफ के निधियन स्रोत

1.8 आईआईपीडीएफ की आधारभूत निधि के लिए प्रारम्भ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर यह राशि समय-समय पर वित्त मंत्रालय की बजटीय सहायता के जरिए बढ़ाई जाएगी।

1.9 जैसे ही आईआईपीडीएफ परिपक्व होगी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों से निधियन किया जा सकेगा। द्विपक्षीय एजेंसी सहित आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित अन्य इच्छुक एजेंसी (एजेंसियों) को इस विषय के संबंध में सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अधीन आईआईपीडीएफ में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उन कंपनियों के अंशदान को स्वीकृति

नहीं दी जाएगी जिनमें आईआईपीडीएफ के संबंध मे निर्णय लेने के मामले में हितों का टकराव होगा। ऐसी किसी एजेंसी से अंशदान की न्यूनतम राशि 15 करोड़ रुपए होगी और अंशदान को इन दिशा-निर्देशों की शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुमोदन से इस प्रारम्भिक सीमा की समय-समय पर अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा समीक्षा की जा सकती है। संभावित दाताओं की विशेष निधियन और रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंध प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रकार, दाता एजेंसियां आर्थिक कार्य विभाग के पूर्वानुमोदन से इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय प्रबंध तथा सूचना देने से विशेष क्षेत्रों में परियोजनाओं का निधियन कर सकेंगी। दाता एजेंसी के एक प्रतिनिधि के अधिकार प्राप्त संस्था की बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

1.10 आईआईपीडीएफ की वैद्यता के अन्तर्गत निधि में आईआईपीडीएफ की कोई भी अथवा सभी अनुवृद्धियां शामिल होंगी। यदि भविष्य में किसी भी समय सरकार आईआईपीडीएफ को बंद करने का निर्णय लेती है तो उस तारीख को बकाया शेष अंशदाताओं को बीच उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा जिसमें उनके द्वारा मूल रूप में अंशदान किया गया था।

4. आईआईपीडीएफ की संगठनात्मक संरचना

1.11 आईआईपीडीएफ अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा प्रशासित होगी। अधिकार प्राप्त संस्था का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगाः

(क) अपर सचिव, आ0का0वि0 - अध्यक्ष

(ख) अपर सचिव, (व्यय)

(ग) योजना आयोग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से निम्न स्तर के नहीं होंगे

(घ) इस विषय से संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव

(ङ) संयुक्त सचिव, आ0का0वि0 - सदस्य सचिव

इसे आ0का0वि0 द्वारा अधिसूचना सं0 2/10/2004-आईएनएफ दिनांक अगस्त 18, 2005 के अधीन अधिसूचित किया गया है।

1.12 अधिकार प्राप्त संस्था निम्नलिखित कार्य करेगीः

- परियोजना विकास लागतों के निधियन के लिए परियोजनाओं का चयन करना
- निधियन और वसूली की शर्तें निर्धारित करना
- निधियन के संवितरण और वसूली के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना (जहां उपयुक्त हों)

आईआईपीडीएफ की आधारभूत निधि के लिए प्रारम्भ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की जाएगी

1.13 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार का सरकारी निजी भागीदारी प्रकोष्ठ अधिकार प्राप्त संस्था को आईआईपीडीएफ के तहत सहायता प्राप्त करने के आवेदन-पत्रों की जांच करने के कार्य में सहयोग करेगा।

1.14 आईआईपीडीएफ के परिपक्व होने पर भारत सरकार आईआईपीडीएफ के प्रबंधन के लिए यथा समय एक उपयुक्त स्वायत्त विधिक संरचना पर विचार करेगी।

5. आईआईपीडीएफ द्वारा संवितरण

आर्थिक कार्य विभाग का सरकारी निजी भागीदारी प्रकोष्ठ सहायता कार्यकलाप मुहैया कराएगा और आईआईपीडीएफ के अन्तर्गत सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने में सहयोग करेगा

1.15 आईआईपीडीएफ द्वारा हासिल किए गए कार्यक्रम के आधार पर किश्तों में संवितरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम एमएफसी द्वारा निर्धारित तथा अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदित होंगे।

2. प्रचालनात्मक प्रबंधन

1. आईआईपीडीएफ से निधियन

2.1 आईआईपीडीएफ से परियोजना विकास निधियन का इच्छुक प्रायोजक प्राधिकरण विचारार्थ ज्ञापन (अनुबंध-I) के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग के सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं प्रकोष्ठ को आवेदन करेगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर ही आईआईपीडीएफ द्वारा निधियन पर विचार किया जाएगाः

1. निधियन का उपयोग एक ही परियोजना के लिए किया जाएगा जो अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदित होगी।
2. निधियन की आवश्यकता प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त संचालन सलाहकार को सामान्यतया दो-चरणों में नियुक्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए है जिसमें पहला चरण पूर्व-संभाव्यता अध्ययन की तैयारी और बाद में उस पर अधिकार प्राप्त संस्था का अनुमोदन और दूसरा चरण इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पीपीपी परियोजनाओं की अधिप्राप्ति से संबंधित है।
3. आईआईपीडीएफ की निधि का उपयोग संचालन सलाहकारों की दो चरणों में की गई नियुक्ति के लिए संबंध में किया जाएगा अर्थात एमएफसी को अधिकार प्राप्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, पूर्व-संभाव्यता अध्ययन के आधार पर और ऐसे मामले में जहां संचालन सलाहकारों को परियोजना तैयार करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भुगतान किया जाता है।
4. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं प्रकोष्ठ अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत संभाव्यता अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रस्तावों की जांच/चयन करेगा। इस प्रयोजन हेतु, प्रायोजक प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में एमएफसी तैयार करेगा। एमएफसी निधि की संचित राशि से वित्तपोषण करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत संभाव्यता अध्ययन करने का औचित्य प्रस्तुत करेगा।
5. एमएफसी में परियोजना का वित्तीय ब्यौरा निहित होगा। सामान्यतया आईआईपीडीएफ के तहत निधियन के लिए तीन प्रकार की परियोजनाओं को रखा जा सकता हैः
   i. राजस्व सृजक वाणिज्यिक परियोजनाएं (रियायत/बूट अथवा इसके परिवर्ती/पट्टा संविदा)ः निजी क्षेत्र निवेश पर 20 प्रतिशत अथवा अधिक की एफआईआरआर प्रदर्शित की जाए। यदि एफआईआरआर 40 प्रतिशत तक वीजीएफ होने के साथ भी 20 प्रतिशत से कम है (भारत सरकार की वीजीएफ योजना से अधिकतम

उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए पीपीपी सैल अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत संभाव्यता अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रस्तावों की जांच/चयन करेगा

20 प्रतिशत और 20 प्रतिशत प्रायोजन प्राधिकारी से) तो परियोजना को सामान्यतया अधिप्राप्त संस्था के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

ii. कुशलता वर्धन/कम लागत वाली परियोजनाएंः (संगठन एवं प्रबंधन संविदाओं पर आधारित प्रबंधन अथवा सेवा संविदा अथवा इंजीनियरी, निष्पादन): उन मामलों में जिनमें निजी क्षेत्र में निवेश न हो अथवा कम हो, वित्तीय बचतों/वर्धित राजस्वों से सामान्यतया सरकार द्वारा देय राशि परियोजना की समाप्ति के आठ से दस वर्ष के अन्दर वसूल की जा सकेगी। इस श्रेणी के तहत अधिवर्षिता पर आधारित परियोजनाओं को भी रखा जाएगा।

iii. उच्च आर्थिक प्रतिलाभों वाली गैर-राजस्व परियोजनाएं (उदाहरणार्थ मल व्यवस्था प्रणाली): आर्थिक प्रतिलाभों को ध्यान में रखकर पीपीपी स्वरूप में शुरू की गई परियोजना के मामले में परियोजना की पात्रता अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रक अधिमानों और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अधिवर्षिता भुगतानों पर आधारित होगी।

निधियन के प्रस्तावों में पीपीपी परियोजनाओं का पूरा तंत्र शामिल होगा जैसे कि निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) (चुंगी), बीओटी (वार्षिकी), दीर्घावधि प्रबंध संविदाएं आदि

6. एमएफसी में आगे यह बताया जाएगा कि संभावित लागत राशि कितनी है, इसे कितने समय में खर्च किया जाएगा और प्रायोजक अधिकारी द्वारा इसकी किस तरह से वसूली की जाएगी।

7. जिन प्रस्तावों में वीजीएफ पर विचार नहीं किया गया है उन्हें भी निधियन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. इन दिशा-निर्देशों के तहत निधियन के प्रस्तावों में पीपीपी परियोजनाओं का पूरा तंत्र शामिल होगा जैसे कि निर्माण-परिचालन-अंतरण बीओटी (चुंगी), बीओटी (वार्षिकी), दीर्घावधि प्रबंध संविदाएं, आदि। परियोजना की पात्रता के बारे में अधिकार प्राप्त संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

2.2 प्रायोजक प्राधिकरणों के आवेदन-प्रत्र पर अधिकार प्राप्त संस्था की मंजूरी प्राप्त हो जाने और निधियन के लिए निर्धारित शर्तें पूरी कर लिए जाने के बाद ही आईआईपीडीएफ वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

2. मूल्यांकन प्रक्रिया और निर्धारित समयावधि

2.3 माह की दस तारीख तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा और अगले माह के पहले सप्ताह में अधिकार प्राप्त संस्था की बैठक में इन पर निर्णय लिया जाएगा।

2.4 संभव निर्णय इस प्रकार हैं: निधियन के लिए बिना शर्त अनुमोदन, कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन अथवा कोई निधियन नहीं (शर्तों में निधियन की वचनबद्धता से पूर्व परियोजना के ब्यौरे की पुष्टि करना और वहन क्षमता तथा पैसे की कीमत का मूल्यांकन परियोजना से सफलता शुल्क के रूप में अधिप्राप्ति लागतें वसूल करने का प्रभाव शामिल है)।

2.5 निधियन की पूरी शर्तों सहित करार आर्थिक कार्य विभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं तथा प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। प्रायोजक प्राधिकरण को आईआईपीडीएफ से सहायता हस्ताक्षरित निधियन करार के अनुसार दी जाएगी।

2.6 आवेदन का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

i. **प्रायोजक प्राधिकरण**

★ क्या प्रायोजक प्राधिकरण के पास परियोजना की आधिप्राप्ति के संबंध में प्रयोग के लिए निधियां (बजट में और दाता स्रोतों से) उपलब्ध हैं और क्या प्रायोजक प्राधिकरण ने परियोजना की अधिप्राप्ति को अपने बजट में शामिल किया है?

- ★ क्या प्रायोजक प्राधिकरण ने हाल ही में पीपीपी परियोजना अथवा ऐसी ही किसी परियोजना (सफल अथवा असफल) की अधिप्राप्ति की है?
- ★ क्या परियोजना द्वारा प्रायोजक प्राधिकरण के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की उपलब्धि कर ली गई है? (अन्य शब्दों में, क्या परियोजना से 'सार्वजनिक परिसम्पतियों' का सृजन हुआ है)?
- ★ क्या प्रायोजक प्राधिकरण में परियोजना की अधिप्राप्ति और संचालन सलाहकार की लागतों के प्रतिरूप निधियन की वचनबद्धता की गई है?

ii. **क्षेत्र**

- ★ क्या प्रस्तावित पीपीपी परियोजना पात्र क्षेत्र में है?
- ★ क्या प्रस्ताव पीपीपी की परिभाषा का पूर्णतः अनुपालन करते हुए किया गया है?
- ★ क्या परियोजना को प्रायोजक प्राधिकरण के आयोजना ढांचे में दर्शाया गया है?
- ★ इस क्षेत्र में ऐसी ही परियोजनाओं की पीपीपी द्वारा अधिप्राप्ति का पूर्ववृत्त क्या है?

आवेदन का मूल्यांकन प्रायोजक प्राधिकरण, क्षेत्र, परियोजना, निधिकरण के आधार पर किया जाएगा

iii. **परियोजना**

- ★ क्या परियोजना को उचित रूप में परिभाषित किया गया है और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है?
- ★ क्या संचालन सलाहकारों का चयन इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है?
- ★ क्या संचालन सलाहकार को भुगतान करने के लिए कार्यक्रम ऐसे हैं कि परियोजना के तकनीकी दृष्टि से पूरा न होने का जोखिम है?
- ★ क्या संचालन सलाहकार की लागत परियोजना की कीमत के अनुपात में है? (क्षेत्र-विशिष्ट)
- ★ निम्नलिखित के संबंध में परियोजना की क्षमता कितनी है:

  क. निजी क्षेत्र पूंजी निवेश सृजित करने?

  ख. गैर-पूंजी निवेश परियोजनाओं के तंत्र में सुधार करने?

  ग. सेवा सुपुदर्गी के परिणाम क्या हैं और परियोजना से प्रत्याशित वर्तमान परिणामों में क्या सुधार हुआ है?

  घ. परियोजना में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता कितनी है?

  ङ. परियोजना अधिप्राप्ति का पूर्ववृत्त क्या है और क्या यह प्रायोजक प्राधिकरण की परियोजना के संबंध में पर्याप्त वचनबद्धता को दर्शाता है?

iv **निधिकरण**

- ★ क्या प्रायोजक प्राधिकरण के सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं प्रकोष्ठ द्वारा नकद प्रवाह को प्रस्तुत और सत्यापित किया गया है?
- ★ क्या परियोजना प्रोफाइल स्थापित कर लिया गया है और इसे सभी अंशधारकों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की संभावना है?

2.7 किसी एक मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा परियोजना का श्रेणीकरण कर दिए जाने पर मूल्यांकन को मूल्य-निर्धारण का एक साधन माना जाएगा।

2.8 सभी मामलों में परियोजना का निधियन करने अथवा नहीं करने का निर्णय अधिकार प्राप्त संस्था के विवेक पर लिया जाएगा।

3. निगरानी

2.9 प्रायोजक प्राधिकरण परियोजना विकास की नियमित रूप से निगरानी करने तथा अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा यथा अनुमोदित कार्यक्रम का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4. प्रतिलाभों सहित परियोजना विकास निधियन की वसूली

प्रायोजक प्राधिकरण आईआईपीडीएफ के अनुसार निधियन के 40 प्रतिशत तक के शुल्क सहित विकास संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा

2.10 परियोजना विकास निधियन परियोजना के विकास संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए सामान्यतया ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता होगी। आशा है कि इसकी वसूली परियोजना सौंपने के बाद सफल निजी क्षेत्र भागीदार से की जाएगी। प्रायोजक प्राधिकरण आईआईपीडीएफ को नीचे किए गए प्रावधान के अनुसार निधियन के 40 प्रतिशत तक के शुल्क सहित विकास संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा। प्रायोजक प्राधिकरण इसके लिए आवश्यक रुप से आयोजना करेगा।

i. राजस्व सृजक वाणिज्यिक परियोजनाएं (अनुदान/बूट अथवा इसके परिवर्ती/पट्टे पर संविदा): यदि राजस्व सृजक परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी क्षेत्र निवेशों के जरिए किया जाना प्रस्तावित है तो एमएफसी में 40 प्रतिशत सफलता शुल्क सहित आईआईपीडीएफ राशि की वसूली की आयोजना की जाए।

ii. क्षमता वर्द्धन/लागत की बचत वाली परियोजनाएं (प्रबंधन अथवा सेवा संविदाएं अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण (संगठन और पद्धति) संविदाओं पर आधारित, सीमित अवधि में निष्पादन वाली इंजीनियरी, अधिप्राप्ति और निर्माण संविदाएं (ईपीएस): उन मामलों में जिनमें निजी क्षेत्र निवेश नहीं किया गया है अथवा कम किया गया है, 25 प्रतिशत सफलता शुल्क सहित परियोजना के विकास संबंधी खर्चों की वसूली की योजना बनाई जाएगी।

iii. ऊंचे आर्थिक प्रतिलाभों वाली गैर-राजस्व सृजक परियोजनाएं (उदाहरणार्थ मल-व्यवस्था प्रणाली): यदि पीपीपी के रूप में शुरु की गई परियोजना आर्थिक प्रतिलाभों की धारणा पर आधारित है तो परियोजना निधियन को परियोजना के लिए मात्र ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता के तौर पर लिया जाए जिसे सरकार द्वारा सफलता शुल्क के बिना चुकाया जाएगा।

5. जोखिम प्रबंध

2.11 आईआईपीडीएफ के इसके अधिदेश का पालन करने के लिए परियोजना का चयन करना जोखिम को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। आईआईपीडीएफ का आशय संवितरित सभी निधियों की वसूली करना नहीं है; वास्तव में, संवितरित निधियों की गैर वसूली दर 25 प्रतिशत मानी गई है। इससे आईआईपीडीएफ राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उन परियोजनाओं का निधियन भी कर सकती है जो क्षेत्र अथवा सेवा की दृष्टि से नई हैं।

अनुबंध-I

विचारार्थ ज्ञापन (एमएफसी)

(आईआईपीडीएफ के लिए दिशा-निर्देशों के अधीन)

1. प्रस्तावना

एमएफसी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि से परियोजना विकास निधियन की मांग के संबंध में प्रायोजक प्राधिकरण को दिया गया एक आवेदन-पत्र है। एमएफसी में मांगी गई सूचना और उसका औचित्य नीचे दिया गया है। अनुबंध-II में एमएफसी के लिए भरे जाने वाला आवेदन-पत्र और अनुबंध-III में एमएफसी से संलग्न की जाने वाली प्रारम्भिक रिपोर्ट की एक खास विषय-सूची दी गई है।

पीपीपी विकल्पों जैसे कि सेवा प्रबधंन अथवा पट्टा संविदाओं के मामले में स्थापना अथवा क्षमता सुधार के उपायों का उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि इनके अभाव में निष्पादन आधारित संविदाओं की संरचना में बाधा होगी

2. परियोजना प्रस्ताव

प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी स्रोत की सहायता से अथवा अन्य किसी प्रकार परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और प्रस्तावित पीपीपी विकल्प में इसके कार्यान्वयन ढांचे से संबंधित मुद्दों को उजागर करेगा। प्रस्तावित परियोजना विकास कार्यकलाप, बजट और समयावधि इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगे।

क. ***तकनीकी सूचना:*** तकनीकी सूचना में परियोजना की जरूरत, इसके संघटक, प्रारम्भिक क्षमता/आकार और पीपीपी विकल्पों के जरिए किए जाने वाले निवेश के ब्लाक लागत अनुमान शामिल होंगे। पीपीपी विकल्पों जैसे कि सेवा प्रबधंन अथवा पट्टा संविदाओं के मामले में स्थापना अथवा क्षमता सुधार के उपायों का उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि इनके अभाव में निष्पादन आधारित संविदाओं की संरचना में बाधा होगी।

ख. ***पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू:*** एक ओर, सूचना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए पर्यावरण संबंधी नियमों एवं विनियमों के अधीन पर्यावरण के संबंध में मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रयोज्य प्रयासों का उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, सूचना में यह भी व्यक्त किया जाना चाहिए कि क्या इसमें कोई पर्यावरण संबंधी अथवा सामाजिक जोखिम है जो पीपीपी ढांचे के तहत सृजित आस्तियों के कारगर उपयोग की दृष्टि से परियोजनाओं के निष्पादन को प्रभावित/विलम्बित/बाधित कर सकता है। निवेश जोखिम के मद्देनजर इसका निवारण किया जाना चाहिए।

ग. ***वित्तीय विश्लेषण:*** परियोजना की लागत (दिशा-निर्देशों में दी गई परिभाषाएं देखें, परियोजना लागत में परियोजना विकास निधियन की लागत और उस पर प्रतिलाभ शामिल हैं) के लिए प्रस्तावित निवेश के वित्तीय विश्लेषण में निवेश के स्रोतों, आहरण अवधि, परियोजना की संविदा अवधि में राजस्व (सेवाओं के लिए प्रशुल्क के कारण और/अथवा क्षमता सुधार से होने वाली बचतों के कारण) और आर्थिक/परियोजना/इक्विटी आईआरआर की

दृष्टि से आन्तरिक प्रतिलाभ दर (आईआरआर) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। गैर-राजस्व सृजक परियोजनाओं के मामले में आर्थिक आई आर आर का उल्लेख अवश्य किया जाए।

घ. ***विधिक पहलू:*** इसमें संबंधित अधिनियमों/नियमों के अधीन उन उपबंधों को व्यक्त किया जाए जो प्रायोजिक प्राधिकरण को प्रस्तावित पीपीपी विकल्प तथा पीपीपी संविदा प्रदान करने के लिए निर्णय लेने संबंधी प्रस्तावित प्रयासों के तहत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन प्राधिकार प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रायोजक प्राधिकरण को स्वयं अथवा चयनित सक्षम प्राधिकारी के जरिए प्रस्तावित परियोजना विकास और कार्यान्वयन ढांचे को मंजूरी देने के लिए आवश्यक प्राधिकार प्राप्त हैं। यदि विधिक ढांचे में किसी तरह का संशोधन करने की जरूरत हो तो उसका उल्लेख किया जाए।

ङ. ***जोखिम का पता लगाना:*** परियोजना विकास के विभिन्न चरणों, निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान परियोजना जोखिमों के प्रारम्भिक मूल्यांकन का सार प्रस्तुत किया जाए। यह परियोजना विकास के दौरान जोखिम के संभव न्यूनीकरण के उपायों/तंत्रों के विस्तृत संरचना का आधार बनेगा, इसलिए प्रारम्भिक स्तर पर निर्देशक सार पर्याप्त माना जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि निजी क्षेत्र निवेशक से अपेशित पूंजी/निवेश की लागत कम से कम है और उल्लेख न किए गए जोखिम न्यूनीकरण उपायों के साथ सोचे गए जोखिमों की अपेक्षा सुव्यवस्थित जोखिम न्यूनीकरण संरचनाओं पर आधारित है।

ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मामले में बनाओ, स्वामित्व रखो, और अन्तरण (बीओओटी), बीओटी और इसके परिवर्ती अथवा अनुदान अथवा पट्टे संविदा जैसे विकल्प संभव है

च. ***प्रस्तावित पीपीपी कार्यान्वयन संरचना:*** विशेष रूप से, निधियन की सहायता से सुव्यवस्थित परियोजना विकास का आशय निजी क्षेत्र के निवेश और प्रबंधन कौशल की प्राप्ति का प्रयास करना है ताकि प्रायोजक प्राधिकरण निवेश और उचित प्रतिलाभों की वसूली का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपते हुए निष्पादन आधारित सेवा की संरचना कर सकें। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के मामले में बनाओ, स्वामित्व रखो, और अन्तरण (बीओओटी), बीओटी और इसके परिवर्ती अथवा अनुदान अथवा पट्टे संविदा जैसे विकल्प संभव है। लेकिन, वर्तमान परियोजनाओं के मामले में, जहां परिसम्पत्ति निष्पादन में सुधार के लिए परिसम्पतियों का उल्लेखनीय सुधार अथवा प्रतिस्थापन जरूरी है प्रबंधन अथवा सेवा संविदाएं (जो अधिकांश सरकारी क्षेत्र के निवेश से निजी क्षेत्र में कुशलता और प्रबंधन दक्षता लाती हैं) परियोजना परिसम्पतियों के लिए कुशल परिसम्पति आधार और प्रचालन प्रणालियां स्थापित करने की दिशा में सम्भवतः पहला कदम होगा जिससे बाद में 'बूट' किस्म की संविदाओं के जरिए और अधिक निवेश किया जा सकता है। अतः प्रस्तावित पीपीपी विकल्प की वित्तीय क्षमता का उल्लेख अवश्य किया जाए।

छ. ***विनियामक पहलू:*** यदि प्रशुल्कों की संरचना पीपीपी विकल्पों में की जानी है तो एमएफसी युक्त प्रारम्भिक रिपोर्ट में, यथा प्रयोज्य वर्तमान विनियामक तंत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। विनियामक तंत्र के अभाव में विनियमन के लिए संविदा द्वारा प्रस्तावित प्रयासों का उल्लेख किया जाए।

ज. ***परियोजना विकास चक्र:*** सूचना में प्रस्तावित परियोजना विकास कार्यकलाप और अधिप्राप्ति की पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र भागीदार के चयन में सर्वोपरि परामर्शदाताओं और सलाहकारों की नियुक्ति से शुरू करके समयावधि शामिल होगी। इसमें भिन्न-भिन्न सरकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं और सलाहकारों की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख भी किया जाए।

3. परियोजना विकास के लिए बजट

परियोजना विकास के लिए बजट में निम्नलिखित के लिए अनुमान शामिल होंगेः

- ★ समीक्षा और जांच-पड़ताल संबंधी खर्चे
- ★ तकनीकी, पर्यावरणिक और सामाजिक, विधिक, वित्त संबंधी अध्ययनों तथा परियोजना प्रलेखन के लिए परामर्शदाता शुल्क

- ★ परियोजनाओं के श्रेणीकरण, यदि कोई हो, के लिए शुल्क
- ★ संचालन सलाहकार शुल्क
- ★ जोखिम निर्धारण/चयन के संबंध में परामर्शदाता शुल्क
- ★ अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रलेखन, विज्ञापन, विपणन संबंधी प्रदर्शन/निवेशक बैठकों, आदि के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चे
- ★ इसमें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्टाफ, आदि पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा

प्रबंधन अथवा सेवा संविदाएं परियोजना परिसम्पतियों के लिए कुशल परिसम्पति आधार और प्रचालन प्रणालियां स्थापित करने की दिशा में सम्भवतः पहला कदम होगा

4. निधिकरण की अवधि और आहरण की अपेक्षाएं

एक निर्देशात्मक तिमाही बजट निर्दिष्ट किया जाए जिसमें परियोजना के हर कार्यकलाप के लिए कार्यक्रम से जुड़े भुगतानों का उल्लेख किया जाए।

5. वसूली की योजना

प्रतिलाभों सहित परियोजना विकास निधिकरण की वसूली की योजना का उल्लेख किया जाए।

अनुबंध-II
एमएफसी आवेदन-पत्र

सहायता का नाम		....................रुपये के लिए परियोजना विकास निधिकरण क्या अर्थक्षमता अन्तर निधि (वीजीएफ) की पृथक रूप से भी मांग की गई है हां/नहीं
परियोजना का नाम	:	
क्षेत्र	:	
प्रायोजक प्राधिकरण	:	
स्थान/ (राज्य/जिला/कस्बा)	:	
कार्यान्वयन एजेंसी (यदि उपर्युक्त से भिन्न हो, जैसा कि एसपीवी के मामले में)	:	
परियोजना की जरूरत	:	
परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा	:	
परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पीपीपी संरचना	:	बूट/बोट (इसके परिवर्ती)/रियायत/पट्टा प्रबंधन/सेवा/ईपीसी निष्पादन आधारित प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदा सहित
परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम	:	प्रमुख कार्यक्रम निर्दिष्ट करें
परियोजना का संभावित परिणाम	:	
परियोजना की वित्तीय संरचना	:	क) परियोजना लागत का ब्यौरा

मद	**लाख रुपये**
भूमि	
भवन	
उपस्कर	
अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)	
कुल परियोजना लागत	

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

ख) वित्तपोषण के प्रस्तावित साधन

स्त्रोत	लाख रुपये
निजी क्षेत्र	
राज्य सरकार	
प्रायोजक प्राधिकरण	
भारत सरकार (वीजीएफ)	
अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)	
जोड़	

आईआरआर अनुमान (यथा प्रयोज्य) : आर्थिक आईआरआर
परियोजना आईआरआर
इक्विटी आईआरआर

अनुमानित परियोजना विकास व्यय

मद	लाख रुपये
सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	
परामर्शी सेवा शुल्कः तकनीकी पर्यावरणीय और सामाजिक विधिक वित्तीय अन्य कोई कुल परामर्शी सेवा शुल्क	
लेन-देन परामर्श शुल्क	
विपणन एवं अधिप्राप्ति संबंधी खर्चे	
अन्य कोई	
कुल अनुमानित परियोजना विकास व्यय	
आईआईपीडीएफ अंशदान 75 प्रतिशत की दर पर	

सलंग्नक :

प्रायोजक प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांकः

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

अनुबंध-III
एमएफसी सहित प्रारम्भिक रिपोर्ट की विषय-सूची

1. प्रस्तावना

2. वर्तमान परियोजना परिदृश्य

(परियोजना की जरूरत को व्यक्त करने के लिए पुनः स्थापना, उन्नयन, सुधार और/अथवा वर्द्धित निवेशों की जरूरत)

3. परियोजना प्रस्ताव

(इसमें व्यापक परियोजना अवधारणा और संघटक, ब्लाक लागत अनुमान, राजस्व सरंचना, आदि शामिल है देखें अनुबंध-I)

4. प्रारम्भिक परियोजना मूल्यांकन

4.1 तकनीकी संभाव्यता

4.2 पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्वीकृति

4.3 वित्तीय एवं वाणिज्यिक अर्थक्षमता

4.4 विधिक ढांचा

4.5 जोखिम (विकास, निर्माण और प्रचालन/कार्यान्वयन के दौरान)

4.6 संविदात्मक और कार्यान्वयन तंत्र

5. परियोजना विकास कार्यकलाप

5.1 परियोजना विकास चक्र

5.2 समय-सीमा

5.3 समीक्षा और जांच पड़ताल

5.4 तकनीकी/पर्यावरणीय एवं सामाजिक/वित्तीय/विधिक परामर्शदाता एवं उनका कार्यक्षेत्र

5.5 संचालन सलाहकार, उनका कार्यक्षेत्र

5.6 विपणन

5.7 अधिप्राप्ति की प्रक्रिया

5.8 अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. परियोजना विकास के लिए निधि की जरूरतें

6.1 परियोजना विकास व्यय के लिए बजट

6.2 आहरण (निर्देशात्मक तिमाही बजट एवं प्रत्येक कार्य के लिए कार्यक्रम से संबंधित अनुमानित भुगतान)

7. वसूली की योजना

प्रतिलाभों सहित परियोजना विकास निधिकरण

8. सिफारिशें

प्रारूप www.pppinindia.com से डाउनलोड करें।

www.pppinindia.com